झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक–3/पी०एम०सी०/प्रशासनिक स्वी0–192/2017..... राँची, दिनांक–.....

प्रेषकः

ई० राजेन्द्र प्रसाद,
उप सचिव (अभिंयत्रण)

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड,
पो०–हिनू, राँची।

द्वाराः आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषयः लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन मुख्य अभिंयता, लघु सिंचाई राँची के अधीन लघु सिंचाई प्रमंडल रामगढ़ अंतर्गत हजारीबाग जिला के प्रखंड–विष्णुगढ़, पंचायत–अचलजामो, ग्राम–अचलजामों एवं कारगालो में रामसागर बांध के जीर्णोद्धार हेतु लागत राशि रू0 136.687 लाख (रूपये एक करोड़ छत्तीस लाख अरसठ हजार सात सौ) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश–स्वीकृत।

1. लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन मुख्य अभिंयता, लघु सिंचाई राँची के अधीन लघु सिंचाई प्रमंडल रामगढ़ अंतर्गत हजारीबाग जिला के प्रखंड–विष्णुगढ़, पंचायत–अचलजामो, ग्राम–अचलजामों एवं कारगालो में रामसागर बांध के जीर्णोद्धार हेतु लागत राशि रू0 136.687 लाख (रूपये एक करोड़ छत्तीस लाख अरसठ हजार सात सौ) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. स्वीकृत प्रस्ताव सक्षम प्राधिकार द्वारा तकनीकी अनुमोदनोपरांत प्राप्त प्राक्कलन के आधार पर है।
3. इस योजना के जीर्णोद्धार की कुल लागत राशि रू० 136.687 लाख है। इस योजना के जीर्णोद्धार के उपंरात कुल 208 हे० (खरीफ–148 हे0 एवं रब्बी–60 हे0) क्षेत्र में सिंचन क्षमता पुनर्जीवित होगी। वर्त्तमान में इस योजना से 10 हे0 खरीफ क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। स्वीकृत कार्य का औसत इंसीडेंस ऑफ कॉस्ट रू० 65714/–प्रति हेक्टेयर आकलित है।
4. स्वीकृत योजना की प्रशासनिक स्वीकृति निम्नशर्त्तो के साथ प्रदान की जाती हैः–

(i) पुनर्स्थापन कार्य के पूर्व एवं कार्य करने के बाद कार्य स्थल का स्टिल फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी कराया जाएगा।

(ii) नियमानुसार कार्य प्रारंभ करने के पूर्व प्री–लेवल माप पुस्त में अंकित किया जाएगा एवं इसकी शत प्रतिशत जाँच सहायक अभियंता के द्वारा एंव (50%) पचास प्रतिशत जाँच कार्यपालक अभियंता द्वारा की जाएगी। प्री–लेवल की जांच असम्बंद्ध प्रमंडल से कराने के उपरांत कार्यकारी प्राक्कलन तैयार किया जायगा।

(iii) इस योजना के कार्यान्बयन के पूर्व जल की उपलब्धता, कमाण्ड क्षेत्र के आकलन तथा प्राक्कलन के मद एंव मात्रा की जाँच मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची द्वारा सक्षम प्राधिकार से कराना सुनिश्चित किया जाएगा। सिंचाई हेतु आउटलेट (गेट चालित/स्लूइस वाल्व) का निर्माण कमांड एरिया के लेवल के अनुसार होगा।

(iv) इस योजना में कराये जाने वाले कार्य की प्रकृति के अनुरूप अनुसूचित दर के मद को ध्यान रखते हुए प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति सक्षम पदाधिकारी द्वारा दी जाएगी।

(v) योजना के कार्यान्वयन के पूर्व कार्यकारी प्राक्कलन में Manual Labour को प्राथमिकता दी जाएगी एवं इससे संबंधित मदों का यथास्थित समावेश करते हुए प्राक्कलन की स्वीकृति दी जाएगी।

(vi) इस योजना के कार्यान्वयन के पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि योजना पर विगत पाँच वर्षो में किसी भी मद से पुनर्स्थापन का कार्य नहीं कराया गया है।

(vii) इस योजना का जीर्णोद्धार लोक निर्माण संहिता में निहित प्रावधानों के अंतर्गत किया जाएगा। योजना के जीर्णोद्धार कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व लाभुक समिति का गठन किया जाएगा, जिनपर योजना के रख–रखाव का दायित्व होगा। **कार्यस्थल पर योजना के संचालन एवं रख रखाव का दायित्व ग्रहण करने का लिखित सहमति लाभुक समिति से प्राप्त नहीं होने पर योजना का जीर्णोद्धार कार्य आरम्भ नहीं किया जायेगा।**

(viii) उपरोक्त कंडिका '4' (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi) & (vii) के सम्पुष्टि के उपरांत ही योजना का कार्यान्वयन् प्रारंभ किया जाएगा।

5. इस कार्य पर होने वाला व्यय बजट शीर्ष ''मुख्य शीर्ष–4702 –लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–101–सतही जल–उप शीर्ष– 20–पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य–विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–45–निर्माण कार्य'' अंतर्गत भारित होगा।

6. इस योजना का जीर्णोद्धार वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्रारम्भ कर एवं 2018–19 में पूर्ण किया जाएगा।

7. इस कार्य के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, रामगढ़ होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची होंगे। संबंधित कार्यपालक अभियंता की यह व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि योजना का जीर्णोद्धार कार्य उत्तम गुणवत्ता के साथ सम्पादित हो।

8. इस कार्य के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निर्देशों एंव अन्य विहित प्रक्रियाओं तथा मानको का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

9. झारखंड कोषागार संहिता के नियम–300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

10. किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।

11. प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

12. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभिंयत्रण)

पत्रांक–3/पी०एम०सी०/प्रशासनिक स्वी0–192/2017..... राँची, दिनांक–.....
प्रतिलिपिः आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचनार्थ/योजना –सह– वित्त विभाग (योजना प्रभाग) झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभिंयत्रण)

पत्रांक–3/पी०एम०सी०/प्रशासनिक स्वी0–192/2017..... राँची, दिनांक–.....
प्रतिलिपिः संबंधित कोषागार, पदाधिकारी, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभिंयत्रण)

पत्रांक–3 / पी॰एम॰सी॰ / प्रशासनिक स्वी0–192 / 2017 2891 8 प्र.खी. राँची, दिनांक– 28.12.2017

प्रतिलिपिः सचिव, जल संसाधन विभाग / अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग / संयुक्त सचिव(अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग / मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची / अधीक्षण अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन अंचल–3 / मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल हजारीबाग / कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, रामगढ़ एवं प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

28/12/2017

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभियंत्रण)

28/12/17